


359



दिनांक 1-1-15 को  
श्री राज. के बलपूर्वक -  
आमंत्रित श्री  
प्रस्तुत  
1-1-15

R 5 - III/15

1. चन्द्रिका प्रसाद पिता इन्द्रदत्त राम ब्रा०
2. शीतला प्रसाद पिता इन्द्रदत्त राम ब्रा०
3. रामचन्द्र राम तनय इन्द्रदत्त राम ब्रा०
4. मुस० रामरती विधवा पत्नी कालिका प्रसाद उर्फ कल्ली रामब्रा०
5. श्रीमती उषा मिश्रा
6. निशा मिश्रा
7. राजेश मिश्रा
8. रीता मिश्रा
9. रन्नु मिश्रा
10. पूजा मिश्रा
11. नीतू मिश्रा

पिता कालिका प्रसाद उर्फ कल्ली रामब्रा०

समस्त निवासीग्राम पड़ैनिया, पवाई तहसील गोपदबनास,  
जिला सीधी म०प्र०

----- अवेदकगण

बनाम

21. अवेदक  
1-1-15

1. श्रीमती प्रीती तिवारी पति राजेश तिवारी सा० करौदिया उत्तरटोला,  
हाल पता- लक्ष्मीकान्त पाण्डेय का मकान, तहसील गोपदबनास,  
जिला सीधी म०प्र०
2. वाल्मीक प्रसाद तनय रामप्रसाद राम सा० बघोर, तहसील सिहावल  
जिला सीधी म०प्र०
3. श्रीमती रंजना तिवारी पुत्री रामरक्षा तिवारी सा० करौदिया  
उत्तरटोला, तहसील गोपदबनास जिला सीधी म०प्र० ---- अनावेदकगण
4. गणेश प्रसाद पिता राजादी नारायण, निवासी ग्राम - पड़ैनिया तहसील - गोपदबनास  
जिला - सीधी निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्, तहसीलदार

3

- 2 -  
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-5-तीन/2015

जिला-सीधी

चन्द्रिका प्रसाद आदि विरुद्ध श्रीमती प्रीती तिवारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी के प्र. क्र. 14/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08-12-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">28/2/2019</p>	